बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

दिनांक–06.01.2026 को सम्पन्न "हर खेत तक सिंचाई का पानी" योजनान्तर्गत अपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही ।

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन परिक्षेत्र को निर्धारित "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण के तहत चयनित योजनाएं (फेज–1) एवं संयुक्त निरीक्षण के अतिरिक्त चयनित योजनाओं (फेज–2 एवं फेज–3) की प्रगति एवं पूर्णता की समीक्षा की गयी।

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

2. सर्वप्रथम मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गयाजी प्रक्षेत्र में फेज–1 के तहत लंबित छः योजनाओं (समेकित रूप से 01 योजना) की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि Work Programme के अनुसार कार्य की प्रगति 75% होनी चाहिए थी, जिसके विरूद्ध वर्तमान में प्रगति 65% बतायी गयी। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 25.03.2026 के मद्देनजर कार्य को ससमय पूर्ण कराने, अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित कराने तथा एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत संवेदक के विरूद्ध अपेक्षित कारवाई का निदेश मुख्य अभियंता को दिया गया। V.C के माध्यम से इस बैठक में जुड़े कार्य के संवेदक द्वारा कार्य को ससमय पूर्ण कर लिये जाने का आश्वासन दिया गया।

(कार्रवाई–अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गयाजी/ कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, कुर्था)

3. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बिहारशरीफ परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत फेज–2 के सकरी सिंचाई योजनान्तर्गत दायां मुख्य नहर से निःसृत बेलधा वितरणी के पुनर्स्थापन कार्य योजना की भौतिक प्रगति 98% बतायी गयी तथा लगभग 30 मीटर की लम्बाई में जन विरोध के कारण पुनर्स्थापन कार्य शेष रहने तथा उक्त हेतु प्रशासनिक सहयोग के बावजूद शेष कार्य में बाधा रहने की स्थिति के आलोक में कार्य को Foreclose करने हेतु मुख्य अभियंता के पत्रांक–32 दिनांक–02.01.2026 से कार्य को यथास्थिति Forclose करने के विभाग को समर्पित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3 को दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बिहारशरीफ/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3)

4. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बिहारशरीफ के अधीन सिंचाई प्रमंडल, रजौली के फेज–2 की "Construction of Lining Work from 0.07 K.M. to 0.27 K.M of left main canal off taking Canal System of Phulwariya Reservoir Scheme" में प्रशासनिक स्वीकृति की अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य एवं स्वीकृत प्राक्कलन के एकरारित राशि के पश्चात् अवशेष राशि से लाईनिंग कार्य हेतु स्वीकृत योजना को पूर्ण कर लिये जाने की सूचना सहित भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध मुख्य अभियंता के पत्रांक–3767 दिनांक–26.12.2025 द्वारा की गई है, जिस पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3 को दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बिहारशरीफ/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली)

5. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बिहारशरीफ अधीन सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद के फेज–3 की "कनक बिगहा वीयर सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य" में दिनांक–28.02.2026 तक प्राप्त समय विस्तार के क्रम में संवेदक को दिये गये कतिपय निदेश के बावजूद संवेदक द्वारा शेष कार्य (पूर्व समीक्षा में प्रतिवेदित भौतिक प्रगति 76%) कराना प्रारंभ नहीं किया गया है तथा कार्य प्रारंभ करने में रूची नहीं दिखायी जा रही है, जिस

हेतु संवेदक को डीबार करने संबंधी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालन्दा, बिहारशरीफ द्वारा संवेदक को अंतिम चेतावनी दिये जाने के संबंध में खेद व्यक्त करते हुए संवेदक के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई नही किये जाने के मद्देनजर अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालन्दा, बिहारशरीफ से स्पष्टीकरण पूछे जाने हेतु अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3 को निदेशित किया गया।

इस कार्य हेतु भविष्य में किसी प्रकार की समय–वृद्धि नहीं दी जाएगी तथा कार्य को स्वीकृत विस्तारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करते हुए संवेदक के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का निदेश मुख्य अभियंता को दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बिहारशरीफ/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद)

6. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन कार्यान्वित "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के फेज–3 के 07 अपूर्ण योजनाओं में से (i) डुमराव शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य में धीमी प्रगति(85% के विरूद्ध 36%) के मद्देनजर संवेदक Ms. Systematic & Advance Pv. Ltd. को डीबार किये जाने के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव के क्रम में अभियंता प्रमुख मुख्यालय को तत्संबंधी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में विभागीय पत्रांक–26/विविध–02–03/2025–78 दिनांक–06.01.2026 द्वारा संवेदक को डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डीबार किया जा चुका है।

(ii) जैतपुरा पम्प नहर योजना अंतर्गत वितरणी संख्या–01 के जलवाहा ओ०आर०–01 से निःसृत फिल्ड चैनल का निर्माण कार्य से संबंधित संवेदक माँ पार्वती इण्डीया निर्माण प्रा०लि० के द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के मद्देनजर मुख्य अभियंता के पत्रांक–4531 दिनांक–31.12.2025 द्वारा संवेदक को ब्लैकलिस्ट/डीबार करने संबंधी प्रस्ताव अनुशंसा के साथ विभाग में समर्पित है, जिसपर अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3 को निदेशित किया गया।

(iii) बक्सर शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित संवेदक मे० त्रिकुटा वासिनी ई०प्रा०लि० को डीबार करने हेतु मुख्य अभियंता के पत्रांक–4497 दिनांक–29.12.2025 से प्रस्ताव अनुशंसा के साथ विभाग में समर्पित है, जिसपर अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3 को निदेशित किया गया।

डुमराव शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य में धीमी प्रगति के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अधीक्षण अभियंता, सोन नहर अचंल, आरा एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को दिये गये निदेश के अनुपालन में आरोप पत्र संयुक्त सचिव प्रबंधन को मुख्य अभियंता के पत्रांक–4513 दिनांक–30.12.2025 संयुक्त सचिव (प्रबंधन) को उपलब्ध करा दिया गया है, जिस पर अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश संयुक्त सचिव(प्रबंधन) एवं अपर सचिव को दिया गया।

शेष कार्यों को अविलंब पूर्ण कराते हुए एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश मुख्य अभियंता को दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी/संबंधित अधीक्षण अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3/संबंधित कार्यपालक अभियंता)

7. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद अधीन सोन नहर प्रमंडल, खगौल अन्तर्गत फेज–3 की दरियापुर उप वितरणी के 6.30 कि०मी० से 10.80 कि०मी० तक का पुनर्स्थापन कार्य में शेष कार्य जन अवरोध एवं शहरीकरण हो जाने तथा अन्य प्रयासों के बावजूद पूर्ण कराने में असमर्थ रहने की स्थिति का उल्लेख करते हुए यथास्थिति योजना को Forclose करने हेतु मुख्य अभियंता द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में विभागीय पत्रांक–2597 दिनांक–22.12.2025 द्वारा योजना Forclose किये जाने का आदेश संसूचित कर दिया गया है ।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–03)

08. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा प्रक्षेत्र अंतर्गत ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम फेज–3 से संबंधित 03 योजनाओं में से (i) सिंचाई प्रमंडल, बनमनखी अंतर्गत जानकीनगर शाखा नहर के वि०दू० 140.00 से 200.10 तक पुनर्स्थापन कार्य तथा जानकीनगर शाखा नहर एवं बरहरा वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर अवस्थित संरचना का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति 98 % प्रतिवेदित है तथा कार्य को यथास्थिति Forclose करने का अनुरोध मुख्य अभियंता के पत्रांक–30 दिनांक–05.01.2026 द्वारा किया गया है, जिस पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2 को निदेशित किया गया।

(ii) सिंचाई प्रमंडल, नरपतगंज अंतर्गत जानकीनगर शाखा नहर के वि०दू० 10.64 से 15.00, वि०दू० 65.00 से 68.00 एवं वि०दू० 87.00 से 90.00 एवं वि०दू० 77.40 दायाँ से निःसृत गम्हरिया उपवितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर पुनर्स्थापन कार्य, वि०दू० 87.60 पर फॉलका पुनर्स्थापन कार्य एवं वि०दू०10.64 पर सी०आर० तथा वि०दू० 65.40 पर कार्ट ब्रिज का पुनर्स्थापन कार्य के संवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण कार्य को यथास्थिति(योजना की प्रगति 77%) Forclose करने के मुख्य अभियंता द्वारा किये गये अनुरोध पर विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन।

(iii) सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा से संबंधित योजना के पूर्ण कर लिए जाने संबंधी सूचना मुख्य अभियंता के पत्रांक–43 दिनांक–05.01.2026 से विभाग में समर्पित है।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/अधीक्षण अभियंता,योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02)

09. अपूर्ण योजनाओं से संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं को निदेशित किया गया कि योजना के Work Plan के अनुसार अद्यतन लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति 20 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में संबंधित संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं की आलोक में डिबार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा योजनाओं को युद्धस्तर पर पूर्ण कराते हुए तत्संबंधी पूर्णता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई– सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, /सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता)

आगामी समीक्षा बैठक की तिथि–05.02.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे निर्धारित।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

ह०/–
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–सिं०यो०मो०–11/2021–पार्ट–III– 28 पटना, दिनांक– 13/01/2026

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधसन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

13/01/26
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–सिं०यो०मो०–11/2021–पार्ट–III–28 पटना, दिनांक– 13/01/2026

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/01/26
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–सिं०यो०मो०–11/2021–पार्ट–III– 28 पटना, दिनांक– 13/01/2026

प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/सिंचाई, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/01/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–सिं०यो०मो०–11/2021–पार्ट–III– 28 पटना, दिनांक– 13/01/2026

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/01/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–सिं०यो०मो०–11/2021–पार्ट–III– 28 पटना, दिनांक– 13/01/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई०टी० केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को कार्यवाही की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/01/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय